



प्रेस नोट - थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक 21.10.2026

थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 03.10.26 को वादी द्वारा थाना खुदागंज पर दी गई तहरीर के आधार मु0अ0सं0- 245/26 धारा 65(1)/98/127(4) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 9/10 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0 बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को अभियुक्ता करिश्मा पत्नी विजेन्द्र द्वारा 1 लाख रुपये में अभियुक्त भूरे पुत्र चंद्रपाल को बेच देने व जबरदस्ती शादी कराने तथा अभियुक्त भूरे द्वारा वादी की बहन को 10 दिन तक बन्धक बनाकर दुष्कर्म करने व इस काम में अभियुक्त मुकेश पुत्र नामालूम द्वारा सहयोग करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में धारा 98 BNS का लोप किया गया।

आज दिनांक 21.10.26 को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हरिओम उर्फ भूरे पुत्र चंद्रपाल, उम्र 30 वर्ष, नि0 ग्राम बेहटा, थाना दातागंज, जनपद बदायूं को समय 10.30 बजे कमलापुर पुलिस थाना खुदागंज क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

हरिओम उर्फ भूरे पुत्र चंद्रपाल, उम्र 30 वर्ष, नि0 ग्राम बेहटा, थाना दातागंज, जनपद बदायूं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0- 245/26 धारा 65(1)/127(4) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 9/10 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 21.10.26 को समय 10.30 बजे, कमलापुर पुलिस थाना खुदागंज क्षेत्रान्तर्गत से।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0नि0 श्री राकेश कुमार मौर्य

उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र

का0 गौरव शर्मा

का0 गगन बालियान

का0 नितिन कुमार

का0 आलोक कुमार

म0का0 नेहा तोमर